समाहरणालय जमुई।
पुर्न निविदा – सूचना

वर्ष 2017–18 में अतिवृष्टि अथवा अल्पवृष्टि के पूर्वानुमान के आलोक में जमुई जिला अंतर्गत संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ प्रभावित प्रखंडों में पशु राहत शिविर के लिए सूखा चारा यथा– गेहूँ भूसा, कुट्टी(पुआल/नेवारी) के दर/आपूर्तिकर्त्ता के निर्धारणके लिए मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 20वें दिन अपराहन 05:00 बजे तक जिला पशुपालन पदाधिकारी,जमुई (पिन कोडः– 811307) के कार्यालय कक्ष में निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के अगले कार्यदिवस को उपराहरण 03:00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकतें हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

सामग्री का नाम :– सूखा पशु चारा, गेहूँ भूसा एवं कुट्टअी(पुआल/नेवारी)

निविदा की शर्ते :–

1. अग्रधन के रूप में निविदा दाता को 2000/– (दो हजार रूपयें) का बैंक ड्राफ्ट जिला पशुपालन पदाधिकारी,जमुई के पदनाम से देना होगा।
2. निविदा के साथ आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. निविदा दाता द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सूखा चारा का 200 ग्राम नमुना के रूप (जो पारदर्शी प्लास्टिक के थैली में मुहरबंद हो)एवं उसपर नाम, पता तथा मोबाईल नं0 अंकित कर निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य हैं।
4. जमुई जिला अंतर्गत किसी भी प्रखंड के राहत शिविर तक चारा पहूँचाकर, तौलवाकर एवं रखवाकर प्रति क्विंटल दर गेहूँ भूसा एवं कुट्टी (पुआल/नेवारी) हेतु अलग–अलग अंकित करना अनिवार्य है। उक्त अंकित दर के अतिरिक्त कोई भी राशि (परिवहन व्यय इत्यादि) देय नहीं होगा।
5. आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा निविदा के साथ जमा किये गये नमूना के अनुरूप नहीं होने पर आपूर्ति नहीं ली जायेगीं।
6. आपूर्ति आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अंदर आपूर्ति नहीं होनेपर आपूर्ति आदेश रद्व करतें हुए अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी।
7. आपूर्ति आदेश के अनुसार सूखा चारा की आपूर्ति करने की सूचना न्यूनतम एक दिन पूर्व जिला पशुपालन पदाधिकारी,जमुई को देना होगा।
8. एक से अधिक निविदा दाताओं का एक ही दर स्वीकृत होने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा किसी भी निविदा दाता/आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. असफल निविदादाता के अग्रधन की राशि उनके अनुरोध पर लौटा दी जायेगी।
10. निविदा समिति को बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
11. निविदा से संबधित किसी भी वाद का निपटारर जमुई स्थित न्यायालय के अधीन होगा।
12. निविदा सूचना के लिए बेबसाइट WWW.ahd.bih.nic.in/WWW.jamui.nic.in पर देखा जा सकता है। विशेष जानकारी कार्यालय अवधि में जिला पशुपालन कार्यालय,जमुई से प्राप्त की जा सकती हैं।

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
जमुई।

जिला पदाधिकारी,
जमुई।